

38144

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (1)

Appearing on Page Nos. 433-439  
Dated: 21-3-1992

जल संसाधन विभाग  
MINISTRY OF WATER RESOURCES

(पूर्वी गठिया विंग)

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1992

सं.नि. 143 :—ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (अं. 46) की धारा 28 के प्रावधानों द्वारा नियमों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ब्रह्मपुत्र बोर्ड 1981 में और आगे संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (घ) निर्माण
- (च) उद्योग
- (न) मूल्यह्रास
- (प) अन्य व्यय

[सं. 23/25/91 के. वार. नो. 3/वार]

ब्रह्मपुत्र बोर्ड, जल संसाधन विभाग

1. उचित नाम और प्रारम्भ—

(1) इन नियमों को ब्रह्मपुत्र बोर्ड (संशोधन) नियम, 1992 कहा जाएगा।

(2) वे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. ब्रह्मपुत्र बोर्ड विधायकों, 1981 के नियम 16 नियम (3) के अन्तर्गत (iii) में "उप शीर्ष" शीर्षक के अन्तर्गत प्रविष्टियों को निम्नलिखित प्रविष्टियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

- (क) वेतन
- (ख) मजदूरी
- (ग) अग्रदायी भविष्य निधि में अंगदान
- (घ) यातायात व्यय
- (ङ) चिकित्सा व्यय
- (च) निराशा, महसूस कर
- (छ) कार्यालय व्यय
- (ज) व्यावसायिक और वित्तीय सेवाओं के लिए भुगतान
- (झ) प्रकाशन
- (ञ) प्रशिक्षण
- (ट) भोजन/आवास
- (ड) कृषि एवं शक्ति
- (ड) अनुसंधान
- (ढ) भूमि
- (ण) भवन
- (त) मशीनरी तथा उपकरण
- (थ) मोटर वाहन

(E.R. Wing)

New Delhi, the 6th March, 1992.

G.S.R. 143.—In exercise of the powers conferred by the provisions of Section 28 of the Brahmaputra Board Act, 1980 (46 of 1980), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Brahmaputra Board Rules, 1981, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Brahmaputra Board (Amendment) Rules, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 16 of the Brahmaputra Board Rules, 1981, in sub-rule (3) in clause (iii) for the entries under the heading "sub-head", the following entries shall be substituted, namely:—

- (a) Salaries
- (b) Wages
- (c) Contributions to Contributory Provident Fund
- (d) Travel Expenses
- (e) Medical Expenses
- (f) Rent, Rates and Taxes
- (g) Office Expenses
- (h) Payment for Professional and Special Services
- (i) Publication
- (j) Training
- (k) Pensions/Gratuities
- (l) Loans and Advances
- (m) Maintenance
- (n) Land
- (o) Building
- (p) Machinery and Equipments
- (q) Motor Vehicles
- (r) Works
- (s) Suspense
- (t) Depreciation
- (u) Other Expenses

[No. 23/25/91/IRC/ER]

HARBHAGWAN KHETWANI, Under Secy.